

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:-एफ.1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1016

दिनांक : 27.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(नगरपालिका) (कलक्टर) राजस्थान।

**विषय:-** नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस को मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5041 दिनांक 23.12.2025 की पैरा 6 के खण्ड-4 में यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भी मतदान बूथ के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी तथा उक्त पैरा के परन्तुक में यह उपबन्धित है कि मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2 X 5 फिट से अधिक नहीं होगा, लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिन्ह या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना दिनांक 23.12.2025 के पैरा 6 खण्ड (iv) के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों की समरूपता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त खण्ड में वर्णित निर्देशों के स्थान पर निर्देशित किया जाता है कि-

“मतदान दिवस को मतदान केंद्र के भवन के 100 मीटर की परिधी में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथ सादे हो। उन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, झण्डे, प्रतीक चिन्ह या प्रचार सामग्री प्रदर्शित ना की जाए। निर्वाचन बूथों में खाने - पीने की कोई वस्तु ना परोसी जाए और ना ही उनमें भीड़ एकत्रित हो।”

साथ ही मतदान केंद्र के भीतर या उसके आस-पास प्रचार पर प्रतिबंध के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अंतर्गत प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार है:

(1) कोई भी व्यक्ति, जिस दिन या जिन दिनों किसी मतदान केंद्र पर मतदान लिखा जा रहा हो, उस मतदान केंद्र के भीतर या उससे 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार करना; या

(ख) किसी मतदाता से उसका मत माँगना; या

(ग) किसी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी को मत न देने के लिए प्रेरित करना; या

(घ) किसी मतदाता को चुनाव में मतदान न करने के लिए प्रेरित करना; या

(ङ) चुनाव से संबंधित कोई सूचना या संकेत (आधिकारिक सूचना के अतिरिक्त) प्रदर्शित करना।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 130 की उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकतम ढाई सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले निर्वाचन बूथों हेतु निम्नांकित प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :-

- (1) कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 की दूरी के भीतर अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा। यहां तक कि जहां एक ही परिसर/स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हो, वहां भी किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ किसी भी मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक स्थलों के परिसर में निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं किए जाए।
- (3) इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के निकट निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं किए जाए।
- (4) अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए 'छाता' अथवा मौसम की परिस्थिति के अनुरूप छोटा टेन्ट जिसका आकार '10ग10' फीट से अधिक नहीं हो, लगाया जा सकता है, लेकिन साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी/संबंधित अधिकारियों से निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिए लिखित रूप में बूथों के नाम और क्रमांक सूचित करते हुए अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।
- (6) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।
- (7) ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने कि अपना मत दे दिया हो।
- (8) ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।

भवदीय  
27/11/24  
(राजेश वर्मा)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव

क्रमांक:-एफ.1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1017-1023 दिनांक : 27.11.2024  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

8  
27.11.2024  
(अम्बा लाल मीणा)  
उप सचिव

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)  
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

दिनांक :- 13.12.2025

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5041  
अधिसूचना

सां. आ.: 137/2025- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यक (Article 243ZA) के अंतर्गत नगरीय निकायों के अध्यक्ष/सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (1) में यह उपबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

उपधारा (2) यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप-धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ' (पांच हजार रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

उपधारा (3) उप-धारा (2) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से, किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का भागी होगा:

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग किसी पश्चात्तवर्ती आदेश द्वारा, लेखबद्ध कारणों से, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हिता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हिता की कालावधि को कम कर सकेगा।

उपधारा (4) कोई भी न्यायालय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

अतः नगरपालिका सदस्यों के निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-यक (Article 243ZA) एवं नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1) नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/2014/4237 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 127/2019) को अधिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता है:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ:- (i) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन में वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2019 है; (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है। (iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
- परिभाषाएँ:- (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
  - "निर्वाचन" से नगरपालिका के सदस्य के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
  - "सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका का विधिपूर्वक सदस्य है और इसमें नगर निगम के मामले में निगम पार्षद, नगर परिषद के मामले में पार्षद और नगरपालिका मण्डल के मामले में सदस्य सम्मिलित है;
  - "प्ररूप" से इस आदेश में उल्लेखित "प्ररूप" अभिप्रेत है;
  - "खण्ड" से इस आदेश का "खण्ड" अभिप्रेत है;
  - "उप खण्ड" से उस "खण्ड" का "उप खण्ड" अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और
  - "नियम" से नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;

(2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।

3. कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा— अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा (campaigning or election related travel) के लिए निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा—  
(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर एवं (v) पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी आदि।

4. कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना— उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा—

(1) नगर निगम पार्षद के चुनाव में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(2) नगर परिषद पार्षद के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(3) नगरपालिका सदस्य के चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(4) उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी। उक्त सूचना के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति निर्धारित प्ररूप 'ख' में जारी की जायेगी, जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जा रहे वाहन पर प्रदर्शित (display) की जायेगी।

(5) किसी भी निर्वाचन में उक्त उप खण्ड (1), (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये तीन वाहनों से अधिक की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

(6) उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिए अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पो, मोटरसाईकिल, स्कूटर है।

5. लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध— लाऊड स्पीकरों का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा—

(1) अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा;

(2) मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि में एवं हॉस्पिटल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा;

(3) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की प्ररूप 'ग' में लिखित अनुमति के उपरान्त ही उपयोग किया जा सकेगा;

(4) ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो, को लिखित रूप में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किसी स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

6. कट-आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध :- (1) निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदर्शित किये जा सकेंगे-

- पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के उपबंधों और उसके आदेशों की पालना करनी होगी;
- कट-आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों के प्रदर्शन में नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12क "सम्पत्ति के विरूपण का निवारण" के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते हैं तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या इस निमित्त विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;
- नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12क "सम्पत्ति के विरूपण का निवारण" के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;
- किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में ऐसे पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी;

परन्तु मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5- फीट से अधिक नहीं होगा लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिन्ह या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

- आमसभा/जुलूस/रैली आदि के लिए अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

स्पष्टीकरण:- स्थान में गृह, भवन, तम्बू और वाहन शामिल हैं।

7. अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश के उल्लंघन :- (1) निर्वाचन हेतु धारा 23 के अन्तर्गत ऊपर उल्लेखित मदों के लिए किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार होगी;

| क्रम संख्या | पद का नाम                     | अधिकतम खर्च सीमा  |
|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.          | नगर निगम पार्षद (corporator)  | रुपये 3,50,000 /- |
| 2.          | नगर परिषद पार्षद (councillor) | रुपये 2,00,000 /- |
| 3.          | नगरपालिका सदस्य (member)      | रुपये 1,50,000 /- |

(2) चुनाव खर्च का लेखा संलग्न प्रारूप 'क' में परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त लेखा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी सात दिवस में कोई भी व्यक्ति उक्त प्रारूप में दर्शित खर्च के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध के उल्लंघन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। ऐसा अधिकारी या तो स्वयं जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी, जो तहसीलदार स्तर से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, से जांच करा सकेगा। शिकायत में अंकित तथ्यों के साबित पाए जाने पर समुचित कार्यवाही के लिए प्रकरण क्षेत्राधिकार रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(8) प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करना:- (1) क्षेत्राधिकार रखने वाला उपखण्ड अधिकारी आयोग के निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में जांच रिपोर्ट पर अपना समाधान करेगा। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उल्लंघन किया जाना प्रकट होने पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे परिवाद एवं की गयी जांच की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

(2) न्यायालय द्वारा उप पैरा (1) में प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण पर निर्णय की प्रति 15 दिन के भीतर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को भेजी जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद्वारा यह सूचित करता है कि उपर्युक्त विषय पर वैधानिक प्रावधानों एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

23/12/25  
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5042-45  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 23.12.2025

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

23/12/2025  
(अम्बालाल मीणा)  
उप सचिव